

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -16/2021

अनवान : -

1. प्रमोद कुमार पुत्र बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. रमेश कुमारी पुत्री बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. कृष्णा पत्नी बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम


1. बलराज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. आरएमजीबी बैंक शाखा मलेखड़ा शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण गर्ग व वकील प्रतिवादी श्री मुंशीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 65/62 के मु०न० 62 के किला न० 25 मु०न० 63 के किला न० 5, 6 की कुल 0.759है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं० 31/30 के मु०न० 8 के किला न० 19 ता 22 मु०न० 9 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25 मु०न० 21 के किला न० 3 ता 8 मु०न० 22 के किला न० 1, 2, 9, 10, 12 की कुल 5.313है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं० 4/6 के मु०न० 44 के किला न० 1, 2 की कुल 0.506है० जिसमें नहरी 0.456है० व गै०मु० रास्ता 0.050है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व चक 15 एएमएस के खाता सं० 10/11 के मु० न० 48 के किला न० 21 ता 24 किला न० 25/1 मु०न० 49 के किला न० 1 ता 5, 6/1 की कुल 2.353है० जिसमें नहरी 2.302है० गै०मु० रास्ता 0.026है० गै०मु० खाला 0.025है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 8/8 के मु०न० 33 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14 मु०न० 34 के किला न० 5, 6 की कुल 3.289है० जिसमें नहरी 3.062है० गै०मु०रास्ता 0.077है० खाला 0.150है० जिसमें प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 बलराज की बजाए वादी सं० 1 प्रमोद कुमार वादी सं० 2 सुरेश कुमार वादी सं० 3 रमेश कुमारी व प्रतिवादी सं० 1 बलराज को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।



यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की


(शंकुतला चौधरी)
भादरा R.A.S. हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.



मि०न० - 16/2021

अनवान : -

1. प्रमोद कुमार पुत्र बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. रमेश कुमारी पुत्री बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. कृष्णा पत्नी बलराज जाति जाट नि० मलखेड़ा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बलराज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. आरएमजीबी बैंक शाखा मलेखड़ा शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कृष्ण गर्ग वादीगण
श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 23/5/20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 65/62 के मु०न० 62 के किला न० 25 मु०न० 63 के किला न० 5, 6 की कुल 0.759है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 6 बरानी के खाता सं० 31/30 के मु०न० 8 के किला न० 19 ता 22 मु०न० 9 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25 मु०न० 21 के किला न० 3 ता 8 मु०न० 22 के किला न० 1, 2, 9, 10, 12 की कुल 5.313है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं० 4/6 के मु०न० 44 के किला न० 1, 2 की कुल 0.506है० जिसमें नहरी 0.456है० व गै०मु० रास्ता 0.050है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व चक 15 एएमएस के खाता सं० 10/11 के मु० न० 48 के किला न० 21 ता 24 किला न० 25/1 मु०न० 49 के किला न० 1 ता 5, 6/1 की कुल 2.353है० जिसमें नहरी 2.302है० गै०मु० रास्ता 0.026है० गै०मु० खाला 0.025है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 8/8 के मु०न० 33 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14 मु०न० 34 के किला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नं० 5, 6 की कुल 3.289 है० जिसमें नहरी 3.062 है० गै० मु० रास्ता 0.077 है० खाला 0.150 है० जिसमें प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण सं० 1 ता 3 के दादा भादरराम की खातेदारी हुआ करती थी। भादरराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बलराज ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण सं० 1 ता 3 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बलराज के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 65/62 के मु० न० 62 के किला न० 25 मु० न० 63 के किला न० 5, 6 की कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 6 बरानी के खाता सं० 31/30 के मु० न० 8 के किला न० 19 ता 22 मु० न० 9 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25 मु० न० 21 के किला न० 3 ता 8 मु० न० 22 के किला न० 1, 2, 9, 10, 12 की कुल 5.313 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं० 4/6 के मु० न० 44 के किला न० 1, 2 की कुल 0.506 है० जिसमें नहरी 0.456 है० व गै० मु० रास्ता 0.050 है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व चक 15 एएमएस के खाता सं० 10/11 के मु० न० 48 के किला न० 21 ता 24 किला न० 25/1 मु० न० 49 के किला न० 1 ता 5, 6/1 की कुल 2.353 है० जिसमें नहरी 2.302 है० गै० मु० रास्ता 0.026 है० गै० मु० खाला 0.025 है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 8/8 के मु० न० 33 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14 मु० न० 34 के किला न० 5, 6 की कुल 3.289 है० जिसमें नहरी 3.062 है० गै० मु० रास्ता 0.077 है० खाला 0.150 है० जिसमें प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजातों से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण सं० 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं० 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूकिं वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट घोषणात्मक वाद है जिसमें वादीगण सं० 1 ता 3

अपने पिता के नाम पैतृक कृषि भूमि में अपना हक हिस्से की घोषणा करवाना चाहते हैं लेकिन वादीया सं० 4 प्रतिवादी सं० 1 की पत्नी है, और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति के जीवनकाल में पत्नि को किसी भी प्रकार की घोषणा सहदायिकी सम्पत्ति में न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 65/62 के मु०न० 62 के किला न० 25 मु०न० 63 के किला न० 5, 6 की कुल 0.759है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 6 बरानी के खाता सं० 31/30 के मु०न० 8 के किला न० 19 ता 22 मु०न० 9 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25 मु०न० 21 के किला न० 3 ता 8 मु०न० 22 के किला न० 1, 2, 9, 10, 12 की कुल 5.313है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/10 हिस्सा इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं० 4/6 के मु०न० 44 के किला न० 1, 2 की कुल 0.506है० जिसमें नहरी 0.456है० व गै०मु० रास्ता 0.050है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व चक 15 एएमएस के खाता सं० 10/11 के मु० न० 48 के किला न० 21 ता 24 किला न० 25/1 मु०न० 49 के किला न० 1 ता 5, 6/1 की कुल 2.353है० जिसमें नहरी 2.302है० गै०मु० रास्ता 0.026है० गै०मु० खाला 0.025है० में प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं० 8/8 के मु०न० 33 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14 मु०न० 34 के किला न० 5, 6 की कुल 3.289है० जिसमें नहरी 3.062है० गै०मु०रास्ता 0.077है० खाला 0.150है० जिसमें प्रतिवादी सं० 1 बलराज के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 बलराज की बजाए वादी सं० 1 प्रमोद कुमार वादी सं० 2 सुरेश कुमार वादी सं० 3 रमेश कुमारी व प्रतिवादी सं० 1 बलराज को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भारत (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भारत जिला हनुमानगढ़